विवरण - II

सारणी एजेसियों द्वारा उर्वरकों के आयात और निर्यात के ब्यौरे

(**मी0 टनों में**)

	1994-95		1995-96 (**अप्रैल**, 95 **से जनवरी**, 96)	
	आयात	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**
एम.एम.टी.सी.				
यूरिया	28,70,000	-	24,32,791	-
डी.ए.पी.	28,800	-	2,22,373	20,000
एम.ओ.पी.	1,57,445	-	1,45,346	-
एस. एस. पी.	-	3,059	-	1,656
आई.पी.एल.				
यूरिया	-	-	36,471	-
एम. ओ. पी.	10,05,170	-	8,68,272	-
डी.ए.पी.	1,22,686	-	2,70,482	-
पी.पी.सी.एल.				
यूरिया	-	-	3,42,820	-
एम.ओ.पी.	1,69,884	-	1,85,614	-
डी.ए.पी.	74,700	-	1,07,663	-
एस. एस. पी.	-	2,000	-	19,002
एन.एफ.एल.				
यूरिया	-	-	2,07,143	-
डी.ए.पी.	-	-	1,08,413	-
एस.टी.सी.				
यूरिया	-	-	2,44,029	-

जीवन रक्षक दवाओं का मूल्य निर्धारण

551. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य निर्धारण में वास्तविक उत्पादन लागत मूल्य, विपणन मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य

के बीच कितने प्रतिशत अन्तर रखने की अनुमति प्रदान की गई है,

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उस संबंध में कितने प्रतिशत अन्तर रखने की अनुमति दी गई है,

(ग) ग्लूकोज बोतलों के मूल्य निर्धारण में थोक एवं खुदरा मूल्यों में कितने प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति दी गई है, और

(घ) दैनिक समाचार पत्र नव भारत, विलासपुर (मध्य प्रदेश) के 25 जुलाई, 1994 के अंक में उक्त मूल्यों के अन्तर के संबंध में प्रकाशित लेख के क्रम में की गई जांच एंव उससे प्राप्त तथ्यो का ब्यौरा क्या है

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 7 के उपबन्धों के अधीन डी.पी.सी.ओ. 1987 की तृतीय अनुसूची की श्रेणी I और श्रेणी – II में निर्दिष्ट सूत्रयोगों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय विनिर्माण पश्चात् व्यय क्रमशः 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की दर से लागू थे। डी.पी.सी.ओ. 1987 के स्थान पर 6.1.1995 से डी.पी.सी.ओ, 1995 लागू किया गया था, और इसके पैरा 7 के उपबन्धों के अनुसार मूल्य नियंत्रित सूत्रयोगों के मामले में 100 प्रतिशत की एक समान दर पर अधिकतम अनुज्ञेय विनिर्माण पश्चात् व्यय लागू है

(ग) और (घ) अन्त : शिरा फलूड्स मूल्य नियत्रंण से बाहर है । लेख (रिपोर्ट) में कुछ उत्पादनों के खुदरा मूल्यों तथा उन उत्पादनों को केमिस्ट को बेचे जाने के मूल्यों में तुलना की गई है । इसमें ग्लास बोतलों और प्लास्टिक बोतलों पर लाभ/हानियां भी शामिल हैं।

Research Centres in Agriculture

552. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the answer to Unstarred Qiestion No 1231 given in Rajya Sabha on 8.12.95 and state:

(a) whether Government have any plan to increase the number of research centres in Agriculture in West Bengal and North Eastern States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the fund allocated in this regard;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE: (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) No, Sir.

(b) the question does not arise.

(c) the question does not arise.

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास

553. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगें किः

(क) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिये वर्तमान में चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान इस क्षेत्र के लिये प्रति वर्ष जिला-वार क्या लक्ष्य रखा गया है,

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई नयी योजना प्रारम्भ करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ जिलावार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराम मुत्तेवार) : (क) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय का संबंध है, गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ग्रामीण महिला व बाल विकास चल रही योजना है।

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान इस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष जिला-वार लक्ष्य को विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

ग्रामीण महिला व बाल विकास के लिए सौराष्ट्र-कच्छ हेतु निर्धारित जिला-वार लक्ष्य

लक्ष्य महिला समूहों का गठन

क्र सं0	जिला	1992-93	1993-94	1994-95
1.	राजकोट	-	60	10
2.	जामनगर	-	65	10